न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 03/2024 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0 पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह यादव निवासी अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302013 /तहसीलदार खण्डार

GCMS No-2024/3

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.2.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 23.09.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह है कि मु0न0 39/2022(26/18)(3/2018) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर बाबत 14(4) आवंटन नियम मे उनवानी अजीत बनाम संजय सिंह वगै. मे प्रार्थी अजीत सिंह ने दिनांक 19.11.2022 को श्रीमान सूरज सिंह नेगी तत्कालीन अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्व प्रस्तुत झूँठी शिकायत जो निदेशक सीबीआई नई दिल्ली को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर को भी प्रेषित की थी उक्त शिकायत दिनांक 19.11.2022 की प्र0प्रति तथा उक्त शिकायत के आधार पर जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक/कोर्ट/राजस्व प्रकरण क्षेत्राधिकार/2017–22/5396 दिनांक 29.11.2022 की प्रमाणित प्रति तथा जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर ने उक्त शिकायत पर की गयी कार्यवाही की प्रति मय नोट शीट की प्रमाणित प्रति।
2. यह है कि तहसीलदार खण्डार के कार्यालय आदेश क्रमांक/कैम्प/दौलतपुरा/एमआरसी/प्र0/23/586 दिनांक 30.6.2023 बाबत सीमाज्ञान ख0न0 823/544 ग्राम दौलतपुरा एवं उक्त आदेश की पालना में गिरदावर पाली एवं पटवारी/दौलतपुरा की टीम द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 6.7.2023 एवं 12.7.2023 एवं 17.7.2023 की प्र0प्रति एवं ख0न0 539,540, वगै. बाबत जारी आदेश भू0अ0/23 दिनांक 12.7.2023 एवं 11.5.2023 की प्रमाणित प्रति तथा रिपोर्ट पटवारी दौलतपुरा दिनांक 13.6.23 या 14.6.2023 की प्रमाणित प्रति एवं तरमीम बाबत गठित टीम आदेश दिनांक 27.12.2022 ,3.3.2023, 24.3.2023 एवं 22.7.2023 एवं जिला कलेक्टरस0मा0 के आदेश दिनांक 17.01.2023 एवं अति0 जिला कलेक्टर कोर्ट के आदेश दिनांक 21.06.2023 एवं 2.9.2023 जो तहसीलदार खण्डार को प्रेषित है की प्रमाणित प्रति।
3. यह है कि ना0स0 1728 दिनांक 22.10.2023 ग्राम दौलतपुरा के ख0न0 539 बाबत तथा सड़क तरमीम ख0न0 539/1 रकबा 2 बिस्वा मय नक्शा तरमीम मय समस्त नोट गिरदावर/पटवारी मय आस–पास के ख0न0 की स्थिति सहित दिनांक 2.5.2023 तरमीम रिपोर्ट।
4. यह है कि उक्त ख0न0 544/1(नया 823/544) रकबा 16.01 बीघा की विक्रमी सम्वत् 2038–41, 2042–45 से लेक[illegible] से 2081 तक खसरा गिरदावरी एवं जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति।
5. यह है कि ख0न0 539 [illegible] क्षेत्रफल ख0न0 539 रकबा 3.15 बीघा एवं 539/1 रकबा 0.02बीघा (2 बिस्वा) का मिलान क्षे[illegible] तथा ख0न0 426/8 एवं 426/9 रकबा क्रमश 13.[illegible] बीघा एवं 6.18 बीघा [illegible] दौलतपुरा का नया ख0न0 744/426 एवं 745/428 रकबा 13. बीघा एवं 6.18 बीघा के मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति तथा ख0न0 823/544 रकबा 14.11 बीघा एवं 823/544 एवं 544/1 रकबा 16.01 बीघा की मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मय संबंधित जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सूचना दी जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.13(2)(181)/सूकाअ/2023/52 दिनांक 16.01.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 23.09.2023 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए प्रभारी अधिकारी कोर्ट अनुभाग के पत्रांक प. कोर्ट/राजस्व प्रकरण क्षेत्राधिकार/2017–23 दिनांक 1471 दिनांक 13.10.2023 से सूचना हेतु शुल्क राशि 12/–रू जमा करवाकर वांछित सूचनाऐं प्राप्त करने बाबत लिखा गया है किन्तु वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 2 लगायत 5 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.09.2023 के बिन्दु संख्या 2 लगायत 5 की सूचना अपीलान्ट को तहसीलदार खण्डार द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए प्रभारी अधिकारी कोर्ट द्वारा शुल्क जमा करवाने बाबत अपीलान्ट को लिखा जा चुका है इसलिए उक्त बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बिन्दु संख्या 2 लगायत 5 की सूचनाऐ अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है एवं बिन्दु संख्या 1 की सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण उक्त बिन्दु की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:18:25 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner